न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/12/2025	15–10–2025	30–03–2026

1–सरकार जर्ये प्रर्वतन अधिकारी, किशनगढबास मुख्यालय अलवर, हाल जिला रसद अधिकारी खैरथल– तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थी

बनाम

1– रूपचंद भारती पुत्र छोटूमल भारती, फर्म रूपचंद गैस चूल्हा, 40 फुट रोड, आनंद नगर, खैरथल तहसील किशनगढबास हाल खैरथल जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

अप्रार्थी

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर सत्यमेव जयते खैरथल–तिजारा (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितः–

1– विभागीय प्रतिनिधि — उपस्थित

2– श्री उदय सिंह यादव — उपस्थित

––:: निर्णय ::––

प्रर्वतन अधिकारी, किशनगढबास मुख्यालय अलवर, हाल जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा दिनाक 15.12.2022 को घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जॉच हेतु रूपचंद भारती की दुकान 40 फुट रोड, आनंद नगर, खैरथल तहसील किशनगढबास पहुंची। मौके पर रूपचंद भारती की दुकान पर अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरो से व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. (1 सिलेण्डर 2.700 किग्रा. भरा हुआ आई.ओ.सी का एंव 2 खाली एच.पी के) एवं 3 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा. (1 सिलेण्डर में 1 किग्रा. गैस भरा हुआ आई. ओ.सी एंव 2 खाली आई.ओ.सी) गैस रिफलिंग हेतु 1 बांसूरी पायी गयी। मौके पर रूपचंद भारती द्वारा घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। मौके पर गैस रिफलिंग में प्रयुक्त की जाने वाली बांसूरी उपलब्ध मिली इससे स्पष्ट जाहिर है, कि रूपचंद भारती द्वारा गैस रिफलिंग का अवैध कारोबार किया जाता है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंधन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आदेश का उल्लंधन होने के कारण उपरोक्तानुसार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. (1 सिलेण्डर 2.700 किग्रा. भरा हुआ आई. ओ.सी एंव 2 खाली एच.पी) एवं 3 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा. (1 सिलेण्डर 1 किग्रा. गैस भरा हुआ आई.ओ. सी एवं 2 खाली आई. ओ.सी) गैस रिफलिंग हेतु 1 बासूरी को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 3 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.02 किग्रा. (1 सिलेण्डर 2.700 किग्रा. भरा हुआ आई. ओ. सी एवं 2 खाली एच.पी) एवं 3 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा. (1 सिलेण्डर 1 किग्रा. गैस भरा हुआ आई.ओ.सी एवं 2 खाली आई.ओ.सी) गैस रिफलिंग हेतु 1 बासूरी को मै0 खैरथल इंडेन खैरथल के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि प्रकरण में जप्त शुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.02 किग्रा (1 सिलेण्डर 2.700 किग्रा. भरा हुआ आई.ओ.सी एवं 2 खाली एचपी) एवं 3 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा. (1 सिलेण्डर 1 किग्रा. गैस भरा हुआ आई.ओ.सी एवं 2 खाली आई.ओ.सी) गैस रिफलिंग हेतु एक बासूरी को राजसात किया जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर

अति0जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

गैरसायल को जरिये नोटिस क्रमांक क्रमशः 175/09.02.2023 के द्वारा जवाब तलब किया गया। गैरसायल द्वारा दिनाक 20.03.2023 को जर्ये वकील उपस्थित होकर अपना लिखित जवाब पेश किया गया।

विभागीय प्रतिनिधी उपस्थित। बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनाक 15.12.2022 को घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जॉच हेतु रूपचंद भारती की दुकान 40 फुट रोड, आनंद नगर, खैरथल तहसील किशनगढबास पहुंची। मौके पर रूपचंद भारती की दुकान पर अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डरो से व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो में गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. (1 सिलेण्डर 2.700 किग्रा. भरा हुआ आई. ओ.सी एंव 2 खाली एच. पी) एवं 3 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा. (1 सिलेण्डर 1 किग्रा. गैस भरा हुआ आई.ओ.सी एवं 2 खाली आई. ओ.सी) गैस रिफलिंग हेतु 1 बासूरी को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 3 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.02 किग्रा. (1 सिलेण्डर 2.700 किग्रा. भरा हुआ आई. ओ.सी एवं 2 खाली एच. पी) एवं 3 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा. (1 सिलेण्डर 1 किग्रा. गैस भरा हुआ आई.ओ.सी एवं 2 खाली आई.ओ.सी) गैस रिफलिंग हेतु 1 बासूरी को मै0 खैरथल इंडेन खैरथल के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। जप्त शुदा सामग्री को राजसात किया जावे।

गैरसायल के वकील उपस्थित। बहस सुनी गई। गैरसायल के वकील द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया कि गैरसायल की फर्म मै0 रूपचन्द चूल्हा रिपेयरिंग के नाम से कारोबार करता है, 5 कॉमर्शियल गैस सिलेण्डर सूरभि बेवरेज जगदम्बा कॉम्लैक्स के नाम से कनैक्शन जारी है, गैस कनैक्शन खैरथल इण्डेन किशनगढबास रोड खैरथल से जारी शुदा है। सुरभि बेवरेज जगदम्बा कॉम्लैक्स फर्म गैरसायल के बडे भाई दौलत भारती की थी, जो फर्म सुरभि बेवरेज जगदम्बा कॉम्लैक्स किन्ही अपरिहार्य कारणवशं बंद हो गयी है, फर्म बंद होने के कारण भाई दौलत भारती ने 3 खाली कॉमर्शियल सिलेण्डर वापिस खैरथल इण्डेन किशनगढबास रोड के यहॉ जमा कराने के लिए गैरसायल की फर्म पर रख दिये थे, अन्य दो खाली घरेलू गैस सिलेण्डर गैरसायल का नौकर जो कि गैस ऐजेन्सी से भरवाने के लिए लाया था। जिनमें से एक खाली गैस सिलेण्डर एच.पी गैस कनैक्शन नम्बर 102619 जो Shivom Hp Gas Gramin Vitrak ततारपुर रोड मातौर से जारी शुदा है, कमला देवी पत्नी जाहर सिंह निवासी दांतला तहसील मुण्डावर के नाम से है, व दूसरा खाली घरेलू गैस कनेक्शन नम्बर 101907 Shivom Hp Gas Gramin Vitrak ततारपुर रोड मातौर से जारी शुदा है। सरोज पत्नी अमरसिंह निवासी दांतला तहसील मुण्डावर के नाम जारी है। तथा एक घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डियन कम्पनी का जो कि गैरसायल के नाम पर है। जिसका कनेक्शन संख्या 05991 है। गैरसायल की फर्म पर रखा हुआ था, और गैरसायल की फर्म रूपचन्द गैस चूल्हा रिपेयरिंग घर के नीचे स्थित है। गैरसायल के नाम से जारी घरेलू गैस सिलेण्डर में पूर्व से ही गैस ऐजेन्सी द्वारा गैस भरी गयी थी। जिसके उपयोग के बाद उसमें केवल मात्र 2.700 किग्रा. गैस बची हुई थी। उक्त गैस सिलेण्डर इस प्रकार गैरसायल द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत अपराध साबित नही होता है, और न ही गैरसायल द्वारा उक्त धारा के तहत कोई अपराध कारित किया है। गैरसायल निर्दोष है, जॉच अधिकारी को तमाम तथ्यो से वक्त दौराने जॉच अवगत करा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद गलत तथ्यो/आधार पर गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है। गैरसायल द्वारा कोई अवैध भण्डारण नही किया जाता है, जिसके आधार पर गैरसायल जप्तशुदा गैस सिलेण्डर वापिस पाने का हकदार है। जो वापिस लौटाये जावे, तथा नोटिस की कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। एंव विभागीय प्रतिनिधी/गैरसायल के वकील की बहस का मनन किया। गैरसायल द्वारा अपने जवाब में स्वयं स्वीकार किया गया है, कि प्रकरण में जप्तशुदा गैस सिलेण्डर संबंधित फर्म से ही बरामद किये गये है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत धरेलू गैस सिलेण्डर/व्यवसायिक गैस सलेण्डर का बिना वैध–अनुज्ञापत्र के कोई भी व्यक्ति भण्डारण नही कर सकता है। गैरसायल द्वारा नियम विरूद्व कार्य किया है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. (1 सिलेण्डर 2.700 किग्रा. भरा हुआ आई. ओ.सी एंव 2 खाली एच.पी)

अति0जिला कलक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज0)
सत्यमेव जयते

एवं 3 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा. (1 सिलेण्डर 1 किग्रा. गैस भरा हुआ आई.ओ.सी एवं 2 खाली आई.ओ.सी) गैस रिफलिंग हेतु 1 बासूरी को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 3 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.02 किग्रा. (1 सिलेण्डर 2.700 किग्रा. भरा हुआ आइ.ओ.सी एवं 2 खाली एच. पी) एवं 3 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा. (1 सिलेण्डर 1 किग्रा. गैस भरा हुआ आई..ओ.सी एवं 2 खाली आई.ओ.सी) गैस रिफलिंग हेतु 1 बासूरी को मै0 खैरथल इंडेन खैरथल के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रकरण में नियमानुसार जॉच कर विधिवत कार्यवाही की जाकर जप्ती की कार्यवाही की गयी है। विभागीय प्रतिनिधी द्वारा प्रकरण में विधिवत जॉच कर विधिसम्मत कार्यावाही की गयी है। प्रार्थना पत्र 6 ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सरकार जर्ये प्रर्वतन निरीक्षक, मुख्यालय अलवर, हाल जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा (राजस्थान) द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) स्वीकार किया प्रकरण में जप्त किये गये 3 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा. (1सिलेण्डर 2.700 किग्रा. भरा हुआ आई ओ.सी एंव 2 खाली एच.पी) एवं 3 व्यावसायिक सिलेण्डर 19 किग्रा. (1 सिलेण्डर 1 किग्रा. गैस भरा हुआ आई.ओ.सी एवं 2 खाली आइ.ओ.सी) गैस रिफलिंग हेतु 1 बासूरी को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है, तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत ऐसे मामलो में संबंधित गैरसायल के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रावधान है किन्तु उक्त प्रकरण में गैरसायल के विरूद्व विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही करायी गयी है, इस संबंध में जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा को आदेशित किया जाता है, कि गैरसायल के विरूद्व संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावे। तथा पालना में की गयी कार्यवाही से न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी खैरथल–तिजारा को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा (राज0)

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राज0) सत्यमेव जयते